

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS .

राजस्व मूल वाद संख्या:- 31/2023

| वादीनी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|--|------|--|
| 01.श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री कैलाशराम जाति विशनोई निवासी विशनोईयो का वास ग्राम खुडाला तहसील झंवर जिला जोधपुर। | | 01.हडमानराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 02.क्षिमी देवी पुत्री श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 03.वेनाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 04.सुजाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर। |



वाद अन्तर्गत धारा ,53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 01.वादीनी की और से अधिवक्ता श्री एस,डी,वैष्णव जगदीश दास उपस्थित।
- 02.प्रतिवादीगण संख्या 1 की और से अधिवक्ता विनोद कुमार उपस्थित।
- 03.शेष प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक 31/12/24

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा .53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.01.2024 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 01.03.2024 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम डोलानाडा के खसरा नम्बर 1 रकबा 63.09 बीघा का ग्राम डोलानाडा तहसील झंवर वादीनी एव प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 01.03.2024 मय मौका फर्द दिनांक 20.02.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीनी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलगन पत्रावली है। राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार:-

01.भूरी देवी पत्नी कैलाशराम हिस्सा पूर्ण जाति विशनोई सा,देह खुडाला खातेदार

| | | | |
|------------|-------------|----------------|------|
| खतरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
| A/1 | 2.59 हैक्टर | बारानी द्वितीय | 3.03 |

02- 01 .क्षिमी देवी पुत्री दुर्गाराम हिस्सा 53/949 जाति पटेल सा,खाटावास खातेदार,

02. वेनाराम पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 370/949 जाति पटेल सा खाटावास खातेदार

रहन यूकौ बैक धवा

03. सुजाराम पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 370/949 जाति पटेल सा खाटावास खातेदार,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

04. हडमानराम पुत्र दुर्गराम हिस्सा 12/73 जाति पटेल सा खाटावास खातेदार,
खतरा नम्बर रकबा किस्म लगान
B/1 7.6809 हैक्टर बरानी द्वितीय 8.99

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनों पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण का बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।



आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इंवर को आदेश दिया जाता है कि बटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 20.02.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शों में तरमीम इन्दाज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 20.02.2024 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार इंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।




(सहायक कलक्टर एवं उपखण्डमीजिस्ट्रेट लुधे)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डमीजिस्ट्रेट लुधे



डिकरी बमुकदमें इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्दा दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 31/2023

| वादीनी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|------|---|
| 01. श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री कैलाशराम जाति विश्णोई निवासी विश्णोईयो का बास ग्राम खुडाला तहसील झंवर जिला जोधपुर। | | 01. हडमानराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 02. झिमी देवी पुत्री श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 03. वेनाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 04. सुजाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति पटेल निवासी खटावास तहसील झंवर जिला जोधपुर 05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर। |



दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 31/2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददर्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 20.02.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीनी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख

3/4/2024

को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

| मुद्दाई | रूपया | पै. | मुद्दायलाह | रूपया | पै. |
|---|-------|-----|---|-------|-----|
| स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुकमनामा मीजान | | | स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान | | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी